

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित तारीख

2

3

न्यायालय :- उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

विविध अपील वाद संख्या- 09/2010

रामकेवल सिंह - आवेदक

बनाम

नरेश ठाकुर - प्रतिपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता - प्रदीप कुमार पाण्डेय

प्रतिपक्षी की ओर से अधिवक्ता - वृन्द कुमार

25.11.2021

अपीलार्थी रामकेवल सिंह अध्यक्ष, शिक्षा समिति बानपुर विद्यालय द्वारा नरेश ठाकुर के नाम पर मौजा- बानपुर के गत सर्वे खाता संख्या- 52 प्लॉट संख्या- 325/634 रकबा- 0.32 ए0 भूमि बन्दोबस्ती वाद संख्या- 104/1977-78 को निरस्त करने हेतु दायर अपील आवेदन को सुनवाई के बिन्दु पर अंगीकृत करते हुए पक्षकारों को न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष/राजस्व दस्तावेज के साथ प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, लातेहार से जांच प्रतिवेदन एवं बंदोबस्ती वाद संख्या- 104/1977-78 का अभिलेख की मांग की गयी।

दोनों पक्षकारों द्वारा अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित जवाब/प्रतिउत्तर एवं राजस्व दस्तावेज दाखिल किया। दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा विस्तृत तर्कों के साथ पक्ष रखा गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता के कथन है कि विवादित भूमि ग्राम- बानपुर के खाता नं0- 52, प्लॉट नं0- 325/634, कुल रकबा- 2.53 एकड़ गत सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक दर्ज है, जो खासमहल की जमींदारी के अन्तर्गत आता है। यह भूमि लातेहार अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित है। इस भूमि में से रकबा 0.15 एकड़ भूमि ग्राम- बानपुर निवासी बरत ठाकुर के नाम से बन्दोबस्ती वाद संख्या- 170/1947 से प्राप्त हुआ था। बरत ठाकुर के मृत्योपरांत उनके दो लड़के गणेश ठाकुर एवं विक्रम ठाकुर जमीन के दखल कब्जे में आये। उनके द्वारा अपनी भूमि को दिनांक 28.10.1980 को भोला शरण, पिता- स्व0 गौरी साव के साथ निबंधित केवाला द्वारा बिक्री कर दिया गया। भोला शरण उक्त जमीन को माननीय राज्यपाल बिहार सरकार को दान कर दिये, जिसके बाद सरकार के कोष से उक्त भूमि रकबा- 0.15 ए0 पर सरकारी विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया। उक्त विद्यालय में स्थानीय बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और शेष रकबा- 0.17 एकड़ भूमि पर खेल कुद यानी फ्लेग्राउन्ड के रूप में उपयोग करते हैं। प्रतिपक्षी नरेश ठाकुर के नाम से बन्दोबस्त भूमि रकबा 0.32 एकड़ उसी में ही विद्यालय की भूमि एवं फ्लेग्राउन्ड सन्निहीत है। प्रतिपक्षी नरेश ठाकुर के नाम पर रकबा 0.32 ए0

भूमि की बन्दोबस्ती प्रक्रिया को बिल्कुल नियम विरुद्ध तथा संदेहास्पद बताया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिपक्षी नरेश ठाकुर द्वारा दिनांक 23.11.1976 को बन्दोबस्ती के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने के बाद बरत ठाकुर के नाम से बंदोबस्त भूमि रकबा- 0.15 एकड़ को फौदी फिरारी जमाबंदी (Abandonment Holding) घोषित करने की कार्रवाई विविध वाद संख्या- 15/1976-77 प्रारम्भ की गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.1977 को फौदी फिरारी जमाबंदी (Abandonment Holding) घोषित किया गया तथा अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 08.11.1977 को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया। इस प्रकार नरेश ठाकुर के साथ की गयी बन्दोबस्त भूमि की प्रक्रिया पूर्णतः कपटपूर्ण (collusive) है। दूसरी ओर प्रतिपक्षी नरेश ठाकुर द्वारा बन्दोबस्ती हेतु किये गये आवेदन में यह कहा गया कि भूमि को वे 20-25 साल से जोत कोड़ करते हैं तथा उनका घर भी बना हुआ है। खासमहल अधिनियम की धारा- 16 एवं 17 पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि खेती बारी के भूमि को कास्तकारी अधिनियम के तहत बन्दोबस्ती का प्रावधान है जबकि मकान बने भूमि को 30 वर्षों के लिए लीज का प्रावधान है। आवेदन पत्र में लिखे मकान निर्माण की बात को नजर अंदाज कर खेती बारी के लिए बन्दोबस्त किया गया, जो संदेहास्पद होने का स्पष्ट प्रमाण है। श्रीमति उमा देवी द्वारा कोयली सिंह के पक्ष में निष्पादित किये गये निबंधित केवाला का भी जिक्र करते हुए कहा गया कि दिनांक 02.06.1995 को रामनरेश ठाकुर पिता- कौलेश्वर ठाकुर के नाम से बन्दोबस्त भूमि में से रकबा- 0.04 एकड़ की बिक्री की गयी है, जबकि खासमहल अधिनियम की धारा- 16 एवं 17 में प्रावधानित है कि बन्दोबस्त या लीज की गयी भूमि को बिक्री के लिए प्रमण्डलीय आयुक्त (Divisional Commissioner) से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा- 63(8) के प्रावधानों का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति धारा- 46 का उल्लंघन कर बिक्री करता है तो उपायुक्त द्वारा उक्त बन्दोबस्ती को रद्द कर दिया जायेगा। बन्दोबस्तधारी नरेश ठाकुर, पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा- 46 के अन्तर्गत बिना अनुमति प्राप्त किये जमीन की बिक्री नहीं कर सकते हैं। श्री नरेश ठाकुर द्वारा बिना अनुमति के धारा- 46 का उल्लंघन करते हुए जमीन का बिक्री किया गया है। बंदोबस्त की गयी भूमि के परवाना का उदाहरण पेश करते हुए कहा गया कि प्रतिपक्षी के बन्दोबस्त भूमि का चौहदी में उत्तर-रास्ता, दक्षिण- बिहार सरकार, पुरब- बनवारी ठाकुर एवं पश्चिम- रास्ता दर्ज है, जबकि गणेश ठाकुर एवं विक्रम ठाकुर द्वारा निबंधित किये गये भूमि का चौहदी में उत्तर-रास्ता एवं स्कूल, दक्षिण- बंधन ठाकुर, पुरब- बनवारी ठाकुर एवं पश्चिम- रास्ता दर्ज है। दोनों के चौहदी से स्पष्ट है कि विधालय को दिया गया भूमि में प्रतिपक्षी के बन्दोबस्त भूमि रकबा- 0.32 एकड़ समाहित है।

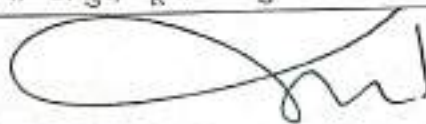
अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद में जोर देते हुए कहा गया कि



बन्दोबस्ती के परवाना में बन्दोबस्त भूमि को विरासत योग्य होना और अंतरणीय न होने के बावजूद प्रतिपक्षी द्वारा जमीन की बिक्री किया गया, जो बन्दोबस्ती के परवाना का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा- 73 के अन्तर्गत फौदी-फिरारी की गयी भूमि को जमींदार अपने कब्जे में ले सकता है एवं उसे दूसरे कृषि वर्ष में अन्य रैयत के साथ बन्दोबस्त किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-44 के अन्तर्गत संदिग्धपूर्ण तरीके से तैयार किये गये कागजात को कभी भी Challenge किया जा सकता है, उसमें कालबाधित का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त सभी कानूनी बिन्दुओं के आधार पर प्रतिपक्षी नरेश ठाकुर के नाम पर बन्दोबस्ती वाद संख्या 104/1977-78 से मौजा- बानपुर के गत सर्वे खाता संख्या- 52, प्लॉट नं०- 325/634, रकबा- 0.32 एकड़ को रद्द/ निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर एवं विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह अपील आवेदन पूर्णतः कालबाधित एवं विचारणीय/चलने योग्य नहीं (Appeal of the appellant is not maintainable) है, क्योंकि अपीलार्थी को वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है एवं अपील आवेदन नियम के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है। सीमा अधिनियम की धारा- 5 के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण सभी एक साथ झूठे, तुच्छ, असंतोषजनक, आशाहीन एवं वर्जित (Explanation given U/s 5 of the limitation Act are all together false frivolous not pluggable and hopelessly barred) है। अपीलार्थी का अपील आवेदन पूरी तरह से झूठी, बनावटी एवं एक मनगढ़न्त कहानी है। अपीलार्थी को भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसके कारण अपील आवेदन के पारा-1 में झूठ कहा गया है कि खाता संख्या- 52, प्लॉट संख्या- 325/634 का कुल रकबा- 0.32 ए० है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्लॉट संख्या- 325/634 का कुल रकबा- 2.53 ए० है, जो गत सर्वे के रिकॉर्ड के अनुसार गैरमजरूआ मालिक है। बन्दोबस्ती वाद संख्या- 104/1977-78 में विधिवत् आम इस्तेहार निर्गत कर किसी के आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रतिपक्षी नरेश ठाकुर के नाम से रकबा- 0.32 ए० भूमि बन्दोबस्त किया गया है। प्रतिपक्षी के नाम से बन्दोबस्त करने के पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से भूमि का जांच प्रतिवेदन की मांग किया गया। जांच प्रतिवेदन में भूमि के कुल रकबा- 2.53 ए० में से पूर्व में की गई बन्दोबस्ती तथा प्रतिपक्षी के नाम से बन्दोबस्त किये जाने वाली रकबा- 0.32 ए० को दर्शाते हुए रकबा 1.46 ए० शेष दिखाया गया। अपीलार्थी का यह कहना कि प्रतिपक्षी को बरत ठाकुर के नाम से रकबा- 0.15 ए० बन्दोबस्त भूमि को मिलाकर बन्दोबस्त किया गया है, पूर्णतः झूठ एवं बेबुनियाद है। प्रतिपक्षी को बन्दोबस्त भूमि की चौहदी उत्तर- रास्ता, दक्षिण- बिहार सरकार, पूरब- बनवारी ठाकुर एवं पश्चिम में रास्ता दर्ज है, जबकि बन्दोबस्ती वाद संख्या- 170/1947 द्वारा बरत ठाकुर के नाम से रकबा 0.15 ए० बन्दोबस्त भूमि का चौहदी में उत्तर परती कदीम, दक्षिण- बनवारी ठाकुर, पूरब- धनु राम एवं पश्चिम- परती



कदीम दर्ज है। इस प्रकार दोनों के चौहदी को देखने से स्वतः स्पष्ट है कि बन्दोबस्त भूमि एक दूसरे से अलग-अलग है। प्रतिपक्षी को बन्दोबस्त भूमि के विरुद्ध बरत ठाकुर एवं उनके पुत्र गणेश ठाकुर व विक्रम ठाकुर तथा क्रेता भोला शरण द्वारा किसी प्रकार का आपत्ति या बन्दोबस्ती रद्द करने हेतु संक्षम न्यायालय में वाद दायर नहीं किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपक्षी नरेश ठाकुर के बन्दोबस्ती आवेदन दिनांक 23.11.1976 दिये जाने के पश्चात् बरत ठाकुर के नाम से बन्दोबस्त भूमि रकबा 0.15 ए० को एक सुनियोजित तरीके से फौदी फिरारी जमाबंदी (Abandonment Holding) घोषित करने की कार्रवाई कही गयी, जो बिल्कुल निराधार एवं बेबुनियाद है। चूँकि प्लॉट संख्या- 325/634 को पूर्व से बन्दोबस्त भूमि एवं प्रतिपक्षी के रकबा 0.32 एकड़ भूमि के बाद भी रकबा 1.46 एकड़ शेष था तथा बरत ठाकुर एवं प्रतिपक्षी नरेश ठाकुर के नाम से बन्दोबस्त भूमि की चौहदी अलग-अलग है। इस प्रकार प्रतिपक्षी नरेश ठाकुर की बन्दोबस्त भूमि का तालुकात विविध वाद संख्या- 15/1976-77 अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 15.10.1977 को बरत ठाकुर के जमाबंदी भूमि का फौदी फिरारी जमाबंदी (Abandonment Holding) घोषित करने तथा दिनांक 08.11.1977 को अंचल अधिकारी द्वारा सरकारी संपत्ति घोषित किये जाने से संबंधित नहीं है।

द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि बरत ठाकुर के नाम से बन्दोबस्त भूमि को अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा फौदी-फिरारी जमाबंदी (Abandonment Holding) दिनांक 15.10.1977 को घोषित किये जाने एवं अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा उसे दिनांक 08.11.1977 को सरकारी संपत्ति घोषित किये जाने के बाद से बरत ठाकुर या उनके पुत्र गणेश ठाकुर व विक्रम ठाकुर का कोई हक-हकियत या दावा नहीं रहा। बरत ठाकुर के पुत्रों द्वारा दिनांक 28.10.1980 को भोला शरण के पक्ष में निष्पादित निबंधित केवाला कानूनी दृष्टि में पूर्णतः गलत है। भोला शरण को नियमानुसार उक्त जमीन पर कोई अधिकार एवं दखल कब्जा नहीं था और न ही उनके नाम से भूमि का दाखिल खारीज स्वीकृत हुआ था। नियम के अनुसार क्रय भूमि पर भोला शरण का अधिकार ही नहीं था तो उनके द्वारा विद्यालय को भूमि दान देने हेतु अपीलार्थी द्वारा कही गयी बात पूर्णतः गलत एवं बेबुनियाद है। बरत ठाकुर या उनके वंशज द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के विविध वाद संख्या- 15/1976-77 में 12.10.1977 को फौदी फिरारी (Abandonment Holding) तथा अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 08.11.1977 को सरकारी संपत्ति घोषित किये जाने के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं किया गया।

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित विद्यालय प्रतिपक्षी के बन्दोबस्ती जमीन के कुछ अंश पर स्व० भोला शरण द्वारा प्रतिपक्षी को कमजोर समझकर उसे डरा/धमका कर जबरदस्ती बनवा दिया गया है, जो नियमविरुद्ध एवं अवैध है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपक्षी के नाम से बन्दोबस्त भूमि के पक्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय AIR 1970 की



प्रति प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्णित है कि Land Reforms Act कि धारा-63 के अन्तर्गत "State Government has no power to review its own order under section 63 of the Act is already filed in the case"

द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करने तथा प्रतिपक्षी के जमाबंदी को यथावत् कायम रखने की बात कही गयी।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, लातेहार/भूमि सुधार उप समाहर्ता लातेहार एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक 267 दिनांक 10.05.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बरत ठाकुर के नाम से बंदोबस्त रकबा 0.15 एकड़ भूमि को जिस कृषि वर्ष फौदी-फिरारी घोषित किया गया उसी कृषि वर्ष में नरेश ठाकुर के नाम से उक्त भूमि का बंदोबस्त किया गया है, जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के पत्रांक 504 दिनांक 04.08.2016 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि बंदोबस्त भूमि की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन बंदोबस्तधारी द्वारा नहीं किया गया है, अर्थात् बंदोबस्त भूमि का संरचना बंदोबस्ती के समय की तरह वर्तमान में भी कायम है तथा कुछ भाग पर सरकारी स्कूल भवन का निर्माण किया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि बंदोबस्तधारी नरेश ठाकुर का बंदोबस्त भूमि पर दखल कब्जा नहीं है और न ही जोत कोड़ कर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है।

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-63(बी) के अनुसार Settlement liable to be set aside- In the event of any land settled as aforesaid not being brought under cultivation within a period of five years from the date of the settlement, or the land being alienated in contravention of the provisions contained in Section 46, it shall be open to the Deputy Commissioner of the district to set aside the settlement and to make re-settlement of such land in accordance with provision of Section 63-A.

अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 754 दिनांक 24.08.2018 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा बानपुर के गत सर्वे खाता संख्या- 52, प्लॉट संख्या- 325 कुल रकबा- 2.53 एकड़ किस्म परती कादिम गैरमजरूआ खाते की भूमि है, जिसमें से प्रतिपक्षी को प्लॉट संख्या- 325/A रकबा- 0.32 एकड़ भूमि सी0एन0टी0 एक्ट की धारा- 139 के तहत वाद संख्या- 104/1977-78 दिनांक 04.05.1978 तथा बरत ठाकुर को प्लॉट संख्या- 325/634 रकबा- 0.15 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती की गयी है। बरत ठाकुर के नाम से बंदोबस्त भूमि का जमाबंदी होल्डींग नं0 91 पर चल रहा था, जिसे तत्कालिन अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा फौदी-फिरारी घोषित कर उक्त भूमि को दिनांक 08.11.1977 को सरकारी भूमि के रूप में घोषित किया गया है। बरत ठाकुर के पुत्रों द्वारा दिनांक 28.10.1980 को

श्री भोला शरण, पिता- गौरी साव के साथ बिक्री की गयी थी, जिसे भोला शरण द्वारा स्वेच्छा से शपथ पत्र के माध्यम से विद्यालय निर्माण हेतु महामहिम राज्यपाल के नाम से दान किया गया। इसी सरकारी भूमि पर विद्यालय अवस्थित एवं चल रहा है। खाता संख्या- 52, प्लॉट संख्या- 325/A रकबा- 0.32 एकड़ की चौहदी में उत्तर- प्राथमिक विद्यालय, बानपुर, दक्षिण- कौलेश्वर ठाकुर का कच्चा मकान, पुरब- कौलेश्वर ठाकुर वगैरह की परती भूमि एवं पश्चिम- पी0सी0सी0 सड़क है। नरेश ठाकुर द्वारा बिक्री की गयी भूमि को क्रेता उमा देवी, पति- मानिकचन्द द्वारा दिनांक 15.06.2007 को रकबा- 0.04 एकड़ भूमि कोयली सिंह, पिता- स्व0 बकन सिंह के साथ किया गया। बन्दोबस्ती के पूर्व आपत्ति आवेदन प्राप्त करने हेतु आम इस्तेहार निर्गत किया गया था। किसी के आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं होने के उपरान्त भूमि को बन्दोबस्त किया गया। नरेश ठाकुर के नाम से लगान निर्धारण किये गये भूमि जिला मुख्यालय से विकर्णीय दूरी 500 मीटर है, जो बहुमूल्य भूमि है तथा भूमि खाली एवं परती है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रतिपक्षी नरेश ठाकुर के नाम से बन्दोबस्त भूमि के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है -

- (1) क्या भूमि बन्दोबस्ती प्रक्रिया वास्तव में कपटपूर्ण (Collusive) है?
- (2) प्रतिपक्षी द्वारा बन्दोबस्ती पट्टा के शर्तों एवं छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा- 46 का उल्लंघन किया गया है?

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के परिशीलन के पश्चात् निम्न तथ्य प्रकाश में आया।

1. प्रतिपक्षी नरेश ठाकुर द्वारा बन्दोबस्ती के लिए आवेदन दिनांक 23.11.1976 को अंचल कार्यालय में दाखिल किया गया तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 15.10.1977 को बरत ठाकुर के नाम से बन्दोबस्त भूमि का फौदी-फिरारी जमाबन्दी (Abandonment Holding) घोषित किया गया, जिसे अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 08.11.1977 को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया गया है। इस तरह नरेश ठाकुर के साथ भूमि बन्दोबस्ती प्रक्रिया कपटपूर्ण (Collusive) प्रतीत होता है।
2. बन्दोबस्तधारी नरेश ठाकुर द्वारा सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बगैर दिनांक 02.06.1995 को श्रीमति उमा देवी, पति- मानिकचन्द के पक्ष में निबंधित केवाला निष्पादित किया गया, जिसे श्रीमति उमा देवी द्वारा पुनः कोइली सिंह, पिता- स्व0 बकन सिंह के पक्ष में दिनांक 15.06.2007 को निबंधित केवाला निष्पादित किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि श्री ठाकुर द्वारा बन्दोबस्ती के शर्तों के साथ-साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रांची द्वारा भूमि बन्दोबस्ती के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश/नीति निर्धारण किया



गया है। विभागीय पत्रांक 6144 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार—

- (i) नियमितीकरण/बंदोबस्ती केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जो 1985 के पूर्व के दखलकारों के साथ की जायेगी। शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में (1947 के विभाजन तथा उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान एवं बर्मा से आये हुए शरणार्थी के परिवारों के लिए आवासीय उद्देश्य के अलावा) इस प्रकार का कोई नियमितीकरण/बंदोबस्त नहीं की जाएगी।
- (ii) शासकीय परिसरों/संस्थानों के आस-पास 150 मीटर के अन्दर आनेवाली भूमि की नियमितीकरण/बंदोबस्त नहीं की जाएगी।
- (iii) राजपथ/उच्चपथ/मुख्यमार्गों के दोनों तरफ 150-150 मीटर के अन्दर ऐसी कोई नियमितीकरण/बंदोबस्त नहीं की जाएगी।
- (iv) जिन परिवारों के साथ पूर्व में सरकारी भूमि की बंदोबस्ती की जा चुकी है उनके साथ पुनः सरकारी भूमि की नियमितीकरण/बंदोबस्त नहीं की जाएगी।

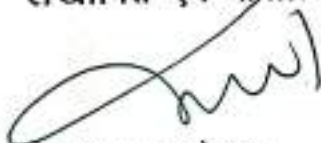
इस प्रकार नरेश ठाकुर के नाम से बंदोबस्त भूमि मौजा-बानपुर शहरी क्षेत्र एवं लातेहार से नवादा मुख्यपथ से 150 मीटर के अन्दर है। फलतः भूमि बंदोबस्ती वाद संख्या- 104/1977-78 विभागीय दिशा-निर्देश/नीति निर्धारण के प्रतिकूल है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बंदोबस्ती वाद संख्या- 104/1977-78 को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-63(बी) के प्रावधानान्तर्गत निरस्त किया जाता है।

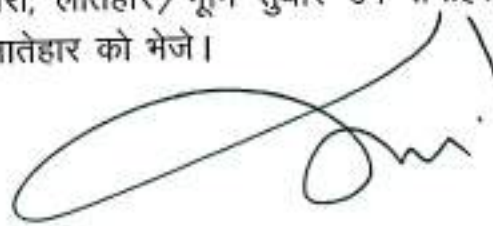
आदेश— अंचल अधिकारी, लातेहार को आदेश दिया जाता है कि नरेश ठाकुर के नाम से पंजी-11 में कायम जमाबंदी को विलोपित कर सरकारी प्रावधानों के अनुसार भूमि को अपने कब्जे में लेना सुनिश्चित करेंगे, जिसे विभागीय प्रावधानानुसार शिक्षा विभाग को नियमानुसार हस्तांतरण की जायेगी।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, लातेहार/भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त, लातेहार।



उपायुक्त, लातेहार।